न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 30/2017

श्री बहादुरसिंह वगैरह बनाम श्रीमति भंवरी वगैरह

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 7 नियम 11 सपठित धारा 11 जाब्ता दीवानी

जो वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी एंव धारा 136 राज0लैण्ड रेवेन्यू अधिनियम पर प्रस्तुत हुआ।

आदेश दिनांक 2.5.2018

उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी पेश कर सारांक्षतः निवेदन किया है, कि वादीगण द्धारा उपरोक्त उनवान वाद प्रकरण की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियो में स्व0 श्रीमति मीरा पुत्री स्व0 श्री छोगा के हक हिस्से की खातेदार बाबत प्रस्तुत किया गया है, स्व0 मीरा पुत्री छोगा का विवाह वादीगण के पिता श्री लक्ष्मणसिंह के साथ अवश्य हुआ परन्तु वैचारिक मतभेद के कारण सामाजिक रिती रिवाज एंव पंच पंचायती के माध्यम से दिनांक 2.4.1977 को विवाह संबंध समाप्त कर दिये गये तत्पश्चात वादीगण के पिता श्री लक्ष्मणसिंह द्धारा वादीगण की माता श्रीमति चुकादेवी से विवाह किया गया जिनके दाम्पत्य संबंधो से वादीगण का जन्म हुआ है, जिन तथ्यो को स्वंय वादीगण द्धारा वाद पत्र की चरण संख्या 5 में विधिवत रूप से स्वीकार किया गया है, ऐसी स्थिति में स्व0 श्रीमति मीरा उसके पीहर पक्ष एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 से वादीगण का किसी प्रकार से कोई रक्त संबंध स्थापित ही नही हुआ तो वादीगण भारतीय हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत विवादित भूमि में किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है तथा ना ही वर्तमान प्रकरण पर भारतीय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू होते है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियो में कोई वाद कारण भी उत्पन्न नही होता है, वादीगण ना ही व्यथित पक्षकार होकर माननीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान वाद प्रस्तुत किये जाने का लॉक्स स्टेन्डाई रखते है, इस प्रकार वाद पत्र स्वंय वादीगण द्धारा चरण संख्या 5 में स्वीकृत अभिवचनो के परिप्रेक्ष्य में भारतीय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के विधिक प्रावधान लागू नही होने से निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो पर वादीगण का वाद निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

वादीगण द्धारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश ना बहस करने का कथन किया।

प्रकरण में बहस प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारीज किया जावे। तथा वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र के कथनो को अस्वीकार किया जावे तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो दोनो पक्षो की साक्ष्य लिये जाने के बाद ही तय किया जा सकता है, अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

मेरे द्धारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के अनुसार वाद पत्र के कथनो को देखा गया जिसमें यह स्वीकृत तथ्य है कि छोगा मीरा की पुत्री है, जिसका वादीगण के पिता के साथ विवाह होना भी स्वीकृत तथ्य है। तथा नामान्तकरण संख्या 391 प्रस्तुत हुआ है, उसमें नामान्तकरण की पुश्त पर जो सजरा अंकित किया गया है, उसमें मीरा पुत्री छोगा को नाऔलाद दिनांक 29.3.2010 को फोत होना पाया गया है, जबकि मीरा से कोई संतान उत्पन्न होना नही

पाया जाता है, इस तथ्य की स्वीकृति वादीगण ने भी अपने वाद पत्र की चरण संख्या 5 में स्वीकार किया जाना पाया गया और लक्ष्मणसिंह ने वादीगण की माता श्रीमति चुकादेवी से दूसरा विवाह किया है। जबकि छोगा की पुत्री मीरा नाऔलाद फोत हो चुकी है, और वादीगण के पिता लक्ष्मणसिंह द्धारा दूसरा विवाह किया जा चुका है, तो मीरा के हिस्से की भूमियो में वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त होना नही पाया जाता है, ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन के आधार पर भारतीय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के विधिक प्रावधान लागू नही होते है, तथा वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध

कोई वाद लाने हेतू कोई वाद कारण उत्पन्न नही होना और ना लॉक्स स्टेन्डाई होना पाया जाता है, अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध खारीज किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

आदेश आज दिनांक 25.10.18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.30 17:11:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: